Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर निगम हैरिटेज जयपुर के जमादार को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**

जयपुर, *22 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी मुख्यालय की जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज गुरूवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये नरेश कुमार, जमादार, नगर निगम हैरिटेज जोन कार्यालय आमेर–हवामहल को 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय पर परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सफाई कर्मचारियों की मार्च माह की हाजरी भरने की एवज में जमादार नरेश कुमार द्वारा 5 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी व टीम द्वारा जलमहल क्षेत्र में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **नरेश कुमार** पुत्र श्री ग्यारसीलाल, निवासी कुण्डलाव कॉलोनी, हरिजन बस्ती आमेर, **हाल जमादार, आमेर–हवामहल जोन नगर निगम हैरिटेज, जयपुर** को परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।